क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटा तथा सूचनाएं जारी की गई
15/7	पत्रावली लोक अदालत / कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कागदर भाटिया पर प्रस्तुत हुई। वादी सं. 2 श्री हुरमा एवं वादी सं. 3 श्री नानजी उपस्थित। मृतक वादी सं. 1 श्री अम्बावा का पुत्र श्री दीताराम उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 श्री धरमा उपस्थित। उभय पक्षों के अधिवक्तागण अनुपस्थित। उपस्थित वादीगण तथा प्रतिवादी को मजमे आम में सुना गया। वादीगण का मौखिक कथन है कि वादीगण की वादग्रस्त मौजा कागदर की खातेदारी आराजी नं. 2491 रकबा 1.1700 हैक्टे. भूमि में आने-जाने बाबत रास्ता सम्बन्धी कोई विवाद मौके पर अब नहीं रहा है इसलिये वादीगण अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है तथा वादीगण अपने	हुरमा नानजी दीताराम [signature]

C.A.L

वादपत्र में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त
कराना चाहते है। दूसरी तरफ उपस्थित
प्रतिवादी श्री धरमा का मौखिक कथन है
कि चूंकि वादीगण अपने वाद को
आगे नहीं चलाना चाहते है तथा अपने
वादपत्र में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त
कराना चाहते है, अत: ऐसी स्थिति में
वह (प्रतिवादी सं.1) भी, अपने नया दावा
लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये,
अपने प्रतिदावा में कोई कार्यवाही नहीं
चाहता है तथा अपने प्रतिदावा में कार्यवाही
इसी स्टेज पर समाप्त कराने हेतु सहमत है।

अत: उभय पक्षों की मजमे आम में
उक्त सहमति के आधार पर वादीगण के
वाद तथा प्रतिवादी सं. 1 के प्रतिदावा में
कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त करते हुये
वादीगण का वाद तथा प्रतिवादी सं.1 का
प्रतिदावा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रति.सं.1 का नया दावा पेश करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश
मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखंड अधिकारी क्षेत्र...

फर्द
...र्यालय
...म मुकदमा
...ांक | कार्यवाही

Scanned by CamScanner